यह निरीक्षण आख्या **कार्यालय निदेशक प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, श्रीनगर** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, श्रीनगर के अवधि 09/2014 से 05/2016 तक के लेखा–अभिलेखों का लेखापरीक्षा श्री सुधीर कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री देवेन्द्र दिवाकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री गौरव पंत, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 25.06.2016 से 06.07.2016 तक श्री दानिश इकबाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित संप्रेक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

भाग–प्रथम

(अ) परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री भानु प्रताप सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री रविशंकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 19.08.2014 से 29.08.2014 तक श्री महेन्द्र तिवारी, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी। जिसमें माह 07/2010 से 08/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(आ) वर्तमान में माह 09/2014 से 05/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित अधिकारियों ने कार्यायाध्यक्ष का पदभार संभाले रखा :

1. श्री सुनील कुमार	उपनिदेशक	09/2014 से 11/2014 तक
2. श्री आनन्द राम	व. वित्त अधिकारी	12/2014 से 20.11.2015 तक
3. श्री विवेक स्वरूप	वित्त नियंत्रक	21.11.2015 से वर्तमान तक

(ब) विगत प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तर :

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/वर्ष	प्रस्तर संख्या	
	भाग–2 अ	भाग–2 ब
51/2007–08	2	3
126/2008–09	–	1
42/2011–12	1	1
–/2012–13	–	1, 2, 3
96/2014–15	–	1, 2

(स). सतत् अनियमिततायें – शून्य

(द). अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित) – शून्य

बजट :

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	स्थापना		गैर–स्थापना	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
2014–15	7253.27	7253.27	137.43	117.79
2015–16	1955.19	1955.19	181.57	127.69
2016–17	00	00	69.43	18.40

भाग -II (ब)

प्रस्तर 1 :- भारत सरकार की अपग्रेडेशन योजना की धनराशि ` 179.71 लाख का उपयोग न कर **पी एल ए खाते में अनुपयुक्त** पड़े **रहना।**

हस्तपुस्तिका मे निहित प्रविधानों के अनुसार कोई भी धनराशि विगत तीन वर्षों से अनुपयोगी रहने की स्थिति मे स्वतः व्यपगत हो जाती है, आहरण वितरण अधिकारों का दायित्व होता है कि सक्षम प्राधिकारी को सूचित करते हुए वह अनुपयोगी धनराशि को राजस्व प्राप्ति के रूप मे समायोजित कराना सुनिश्चित करें । कार्य पूर्ण होने पर अवशेष राशि यदि कोई हो, तो शासन को वापस कर दिया जाना चाहिए ।

कार्यालय प्राविधिक शिक्षा निदेशालय श्रीनगर के अवधि 09/2014 से 05/2016 तक लेखा अभिलेखों की नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि विभाग के अंतर्गत पी एल ए खाते मे कुल ` 261585308/- की धनराशि अनुपयोगी/अप्रयुक्त पड़ी हुए थी। मार्च 2004 में भारत सरकार से अपग्रेडेशन/ ई॰ एल॰ सी॰ के लिए ` 85865599/- प्राप्त हुई थी, इस राशि का उपयोग विभिन्न पोलिटेक्निकों का उच्चीकरण/ उन्नयन में किया जाना था। इसके अन्तर्गत पोलिटेक्निक में मशीनें और साज-सज्जा/ उपकरण और संयंत्र आदि पर व्यय किया जाना था। जबकि इस धनराशि में से ` 17971308/- का दो वर्षों से अधिक समय से (05/2016 तक) उपयोग नहीं किया गया। विभाग द्वारा इस धनराशि का उपयोग न करके पी एल ए खाते मे रखा हुआ है जिससे इस योजना का लाभ छात्रों को प्राप्त नहीं हो पा रहा था, जो की स्पष्ट करता है कि विभाग द्वारा उक्त योजना के प्रति उदासीनता बरती गयी। इसके अतिरिक्त पी एल ए खाते मे धनराशि ` 48095000/- तकनीकी विश्वविध्यालय से संबन्धित थी, जिसको संबन्धित तकनीकी विश्वविध्यालय को वापस किया जाना चाहिए था जो कि तीन वर्ष से अधिक समय बीत जाने के पश्चात भी वापस नहीं किया गया। जो स्पष्ट करता है कि विभाग द्वारा शासकीय बजट को समर्पित किए जाने से बचने के लिए उक्त धनराशियों को पी एल ए खाते में रखा गया। जिसे न तो संबन्धित कार्य संपादित कराये गये और न ही धनराशि शासन को वापस की गयी थी। जिससे स्पष्ट है कि विभागीय उदासीनता के कारण भारत सरकार की योजना अपग्रेडेशन की धनराशि ` 179.71 लाख पी एल ए खाते में अनुपयुक्त पड़ी हुई थी।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि 31 मार्च 2016 तक व्यय करने के उपरान्त कुल धनराशि ` 17971308.00 अवशेष है। इस धनराशि को नियमानुसार ई- टेण्डर 1884 दिनांक 10.11.2014 के द्वारा व्यय किया जाना था परंतु तकनीकी कारणों से उक्त टेण्डर से संबन्धित धनराशि से क्रय की जाने वाली कुछ

सामग्रियों का सत्यापन न होने के कारण संबन्धित धनराशि व्यय नहीं की जा सकी। अपग्रेडेशन योजना के अंतर्गत स्वीकृति धनराशि का व्यय प्रधानाचार्यो /संबन्धित संस्थाओ द्वारा ए0टी0टी0आर0 चंडीगढ़ से समग्रियों की सूची वैटिड होने के पश्चात क्रय किया जाना है । ए0टी0टी0आर0 चंडीगढ़ द्वारा वैटिड सूची प्राप्त होने पर नियम अनुसार समग्रियों को क्रय कर संबन्धित धनराशि व्यय की जाएगी ।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि विभाग ने मार्च 2012 से मार्च 2014 तक की अवधि में धनराशि पी एल ए खाते मे रखी गयी, लेकिन 2 वर्ष का समय बीत जाने के पश्चात भी उक्त धनराशि को व्यय किए जाने हेतु विभाग द्वारा कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया जिससे स्पष्ट था कि विभागीय उदासीनता के कारण भारत सरकार की योजना अपग्रेडेशन की धनराशि ` 179.71 लाख का उपयोग न कर पी एल ए खाते में अनुपयुक्त पड़े होने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग -II (ब)

प्रस्तर 2 : ` 4691.35 लाख व्यय के उपरान्त भी निर्माण कार्य अपूर्ण रहना एवं अन्तर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति न किया जाना।

(अ) भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित विशेष योजनागत सहायता (SPA) योजनान्तर्गत प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में 20 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के अनावसीय भवनों के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, देहरादून द्वारा संकलित रूप से गठित विस्तृत आगणन ` 6195.22 लाख के सापेक्ष टी.ए.सी. द्वारा परिक्षणोपरान्त अनुमोदित लागत ` 6112.31 लाख की (सिविल कार्यों हेतु ` 765.62 लाख तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों के लिये ` 5346.69 लाख कुल ` 6112.31 लाख), 19 अन्तर्निहित शर्तों के अधीन उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या 1287/XLI-1/2013–107/13 दिनांक 03.03.2014 द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त ` 1441.35 लाख अवमुक्त की गयी। शासनादेश संख्या 286/XLI-I/2013–107/14 दिनांक 31.03.14 तथा शासनादेश संख्या 10/XLI7-I/2013–107/13 दिनांक 08.01.15 द्वारा द्वितीय एवं तृतीय किश्त के रूप में क्रमशः ` 650.00 लाख तथा ` 2500.00 लाख अवमुक्त किया गया।

(ब) उपरोक्त के अतिरिक्त, उक्त योजना के अन्तर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक मूनाकोट, पिथौरागढ़ के अनावसीय भवन निर्माण हेतु उत्तराखण्ड जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, पिथौरागढ़ द्वारा गठित विस्तृत आगणन ` 306.35 लाख के सापेक्ष टी.ए.सी. द्वारा परिक्षणोपरान्त अनुमोदित लागत ` 302.89 लाख की (सिविल का कार्यों हेतु ` 286.90 लाख तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों के लिये ` 15.99 लाख कुल ` 302.89 लाख), 13 अन्तर्निहित शर्तों के अधीन उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या 1127/XLI-1/2013–112/11 दिनांक 18.11.2013 द्वारा

वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त ` 100.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी।

उक्त शासनादेशों में निहित प्रावधानों के तहत निर्माण कार्य को समय सीमा के अन्तर्गत एवं निहित मानकों के अनुरूप पूर्ण करने के लिए विभाग और कार्यदायी संस्था के मध्य समझौता ज्ञापन (MOU) तैयार किया जाना था।

लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि उपरोक्त (अ) में वर्णित निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में तैयार समझौता ज्ञापन के अनुसार निर्माण कार्य दिनांक 15.05.14 से प्रारम्भ किया जाना था जिसे चरणवार पूर्ण करते हुए विभाग को दिनांक 10.05.15 को हस्तान्तरित किया जाना था। (ब) में वर्णित निर्माण कार्य के सम्बन्ध में समझौता ज्ञापन तैयार किये जाने का कोई भी अभिलेख पत्रावली में उपलब्ध नहीं थी। कार्यदायी संस्थान को कब धनराशि निर्गत की गयी थी इसकी भी स्थिति स्पष्ट नहीं थी तथापि कार्यदायी संस्था के पत्र दिनांक 19.12.2014 द्वारा सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय को प्रेषित किया गया था। कार्य वर्ष 2014 से बंद था।

उपरोक्त निर्माण कार्यों से सम्बन्धित लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि समस्त निर्माण कार्यों की प्रगति अत्यन्त धीमी थी तथा 05 निर्माण कार्य ((i) राजकीय पॉलिटेक्निक सतपूली (ii) राजकीय पॉलीटेक्निक, दानिया, अल्मोड़ा (iii) राजकीय पॉलिटेक्निक काँडा, बागेश्वर (iv) राजकीय पॉलीटेक्निक, चोपता, रूद्रप्रयाग (v) राजकीय पॉलीटेक्निक, मूनाकोट, पिथौरागढ़) विगत काफी समय से बंद थे। विभाग द्वारा उक्त निर्माण कार्यों को यथासमय पूर्ण करने के लिए कोई भी सार्थक प्रयास नहीं किया गया था इसके अतिरिक्त शेष धनराशि समय से शासन से प्राप्त करने का भी कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया था।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि विभागीय उदासीनता के परिणामस्वरूप ` 4691.35 लाख के व्यय के बाद भी निर्माण कार्य न केवल अपूर्ण था अपितु अर्न्तनिहित उद्देश्यों की पूर्ति भी अप्राप्त थी।

उपरोक्त के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए अवगत कराया कि राजकीय पॉलीटेक्निक दन्या, काँडा, चोपता एवं सतपुली का निर्माण कार्य धनराशि के अभाव में रूका हुआ है। भारत सरकार से धनराशि प्राप्त हो चुकी है जो पी.एल.ए. खाते में जमा है जिससे निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा। राजकीय पॉलीटेक्निक मूनाकोट के सम्बन्ध में इकाई ने बताया कि धनराशि प्राप्त किय जाने हेतु शासन स्तर पर कार्यवाही की जा रही है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि राजकीय पॉलीटेक्निक, दन्या, काण्डा, चौपता एवं सतुपली में निर्माण कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि समाप्त हुए एक वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है जबकि भारत सरकार से प्राप्त धनराशि पी.एल.ए. खाते में जमा किया गया था। विभाग द्वारा कार्यों को यथा समय पूर्ण कराने के लिये कोई भी सार्थक प्रयास नहीं किया गया था। अतः स्पष्ट था कि ` 4691.35 लाख व्यय करने के बाद भी निर्माण कार्य न केवल अपूर्ण था अपितु अन्तर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति अप्राप्त थी।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के प्रकाश में लाया जाता है।

भाग -II (ब)

प्रस्तर 3 :- विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवन के अभाव में ` 1050.39 लाख का व्यय करने के उपरान्त भी अंतर्निहित उद्देश्यों अप्राप्त रहना।

एन॰ टी॰ पी॰ सी॰ के सहयोग से कालादूंगी (नैनीताल) में पोलेटेक्निक भवन के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या -133/ XLI-1/ 2011-81/ 08 दिनाँक 04-3-2011 के क्रम में स्वीकृति संख्या-175/ XLI-1/ 2012-81/08, दिनाँक 16-02-2012 के द्वारा उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, मेडिकल कॉलेज इकाई, हल्द्वानी द्वारा गठित आंगणन ` 1129.08 लाख के सापेक्ष टी0 ए0 सी0 ` 1050.39 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी। तथा शासनादेश संख्या 146/ XLI-1/ 2015-81/ 2015 दिनाँक 11-03-2015 के द्वारा ` 25.42 विद्धुतिकरण कार्यों के लिए पुनरीक्षित आंगणन की स्वीकृति दी गयी जो कि पूर्व में जारी स्वीकृति आदेश में त्रुटिवश छुट गयी थी इस प्रकार कुल धनराशि ` 1075.81 कि प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी गयी। उक्त निर्माण कार्य MOU के अनुसार 25-04-2012 को प्रारम्भ किया जाना था और 30-05-2014 तक निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

कार्यालय प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, श्रीनगर के लेखा अभिलेखों के नमूना जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि विभाग के द्वारा 11-03-2011 से 14-09-2014 तक कि अवधि में धनराशि ` 1075.81 लाख के सापेक्ष ` 1050.39 लाख कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दिये गए थे शेष धनराशि ` 25.42 लाख कार्यदायी संस्था को प्रेषित किया जाना अभी शेष था। कार्यदायी संस्था के द्वारा उक्त भवन का निर्माण कार्य 03/2014 में पूर्ण कर लिया जाना था लेकिन विभाग

द्वारा इस अवधि को बड़ाकर 12/2015 तक कर दिया गया लेकिन कार्यदायी संस्था के द्वारा (06/2016) तक पूर्ण नहीं किया गया। कार्यदायी संस्था के द्वारा बहुद्देशीय भवन का निर्माण कार्य एवं भवन के पैनल, स्ट्रीट लाईट, बाह्य विद्दुतीकरण का कार्य धनाभाव के कारण 08 माह से कार्य बन्द कर दिया है। भवन के पैनल, स्ट्रीट लाईट, बाह्य विद्दुतीकरण का कार्य नहीं किए जाने से बहुद्देशीय भवन एवं छात्र/ छात्राओं के लिए बनाए गए छात्रावास का उपयोग नहीं हो पा रहा था। छात्रावास के पूर्ण न किए जाने से छात्रावास में रहने वाले छात्र/ छात्राओं से प्राप्त होने वाले छात्रावास शुल्क के रूप में होने वाली आय भी शासन को अप्राप्त थी। जिससे स्पष्ट था की विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवन के कारण ` 1050.39 लाख का व्यय भवन निर्माण कार्य पर करने के उपरान्त भी उसके अंतर्निहित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि 30-05-2014 थी प्रश्नगत निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं मल्टीपरपज हाल में विधुतीकरण एवं स्ट्रीट लाईट का कार्य अवशेष है। एन॰ टी॰ पी॰ सी॰ से धनराशि प्राप्त न होने के कारण कार्यदायी संस्था को धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जा सकी।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि उक्त निर्माण कार्य 30-05-2014 तक पूर्ण कर लिया जाना था लेकिन विभाग द्वारा 06/2016 तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया जा सका जबकि विभाग को 146/ XLI-1/ 2015-81/ 2015 दिनाँक 11-03-2015 के द्वारा ` 25.42 विद्धुतिकरण कार्यों के लिए पुनरीक्षित आंगणन की स्वीकृति दी गयी। जिससे स्पष्ट था विभाग द्वारा एन॰ टी॰ पी॰ सी॰ से एक वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के उपरान्त भी धनराशि प्राप्त नहीं की गयी एवं निर्माण कार्य को पूर्ण करवाने हेतु कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया। अतः विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवन के अभाव में ` 1050.39 लाख का व्यय करने के उपरान्त भी अंतर्निहित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1:- अवास्तविक बजट की मांग व रू 74.46 लाख की धनराशि का वर्षांत में समर्पण किया जाना।

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष का उत्तरदायित्व होता है कि सम्यक विचारोप्रान्त बजट की मांग प्रस्तुत करे तथा धनराशि के अवशेष रहने की स्थिति में यथा समय समर्पित कर दिया जाना चाहिये जिससे कि अन्यत्र उसका उपयोग हो सके सके।

निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के लेखा अभिलेखों के नमूना जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में रुपए 2057557.00 की धनराशि तथा वर्ष 2015-16 मे ` 5388219.00 क्रमश: 15 % व 30 % इस प्रकार विगत दो वर्षो मे कुल ` 74,45,776.00 की धनराशि वर्ष के अंत मे समर्पित किया गया था । (विस्तृत विवरण संलग्न) उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि बजट की मांग आवश्यकता से अधिक की जा रही थी तथा वर्ष के अंत मे शेष धनराशि समर्पित किए जाने के कारण उक्त राशी का अन्यत्र उपयोग किया जाना सम्भव नहीं था

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि बजट कि मांग स्वीकृत पदों के सापेक्ष की गयी है। चूँकि स्टाफ की नियुक्ति न होने के कारण धनराशि अवशेष रही जिससे उसका सम्पूर्ण व्यय नहीं किया जा सका।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विभाग में स्टाफ की नियुक्ति न होने के कारण इतनी धनराशि अवशेष रहे तथा नियुक्ति होने के लिए वर्ष के अन्त तक धनराशि को समर्पित न किया जाना कोई उचित कारण नहीं था। उक्त धनराशि को समय पर समर्पित कर दिया जाता तो उक्त धनराशि का किसी अन्य योजन पर इसका उपयोग किया जा सकता था लेकिन समर्पित न किए जाने से इसका उपयोग नहीं किया जा सका। जिससे स्पष्ट है कि विभाग द्वारा अवास्तविक बजट की मांग की गयी व ` 74,45,776.00 की राशि का वर्षांत में समर्पण किया गया। अतः धनराशि ` 74.46 लाख का वर्षांत समर्पण किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें, जिनका समाधान/निराकरण लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं किया जा सका है, उन्हें पृथक रूप से नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर अलग से **कार्यालय निदेशक प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, श्रीनगर** को इस आशय से प्रेषित की गयी की वे लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के अन्दर उसकी अनुपालन आख्या सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, सी–1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामाजिक क्षेत्र